Jaypee Institute of Information Technology, Noida

NOTICE

SCHOLARSHIP SCHEME OF U. P GOVERNMENT FOR ECONOMICALLY WEAK STUDENTS BELONGING TO STATE OF UTTAR PRADESH (2025-26)

Uttar Pradesh Government offers Scholarship's for Economical Weak Students (SC/ST/OBC/Minority and General Category). Annual Income from all sources for category (Post Matric)- OBC, Minority & General must not exceed more than Rs. 2,00,000/- & for category SC/ST must not exceed more than Rs. 2,50,000/-.

All eligible students are advised to apply online for the same as follows:-

a) Visit website **http://www.scholarship.up.gov.in/index.aspx** Fresh & Renewal Candidate - (**last date for applying 20 Dec 2025)**
b) Fill the form in draft mode.
c) Before freezing / submitting the form, if desirous, the student to forward the draft form to the Registrar's Office, Main Campus for verifying the entered details.
d) Kindly note, editing is not permitted after freezing / final submission.
e) The students are solely responsible for the status of their application.
f) Candidates to send self attested scanned copies in PDF format of the following documents for verification of fulfilling the criteria for the Scholarship on email to **deepak.gupta@jiit.ac.in**, after final submission of the application. (**without waiting for the last date**)
   - Complete application form
   - Income certificate (with verification)
   - Domicile certificate in U.P (with verification)
   - Caste certificate **(if applicable),** (with verification)
   - Aadhaar card
   - Institute id card
   - 10th & 12th / B.Tech/ M.Tech marksheet (all semesters)
   - Copy of bank a/c passbook
   - Institute fee receipt
   - Admission offer letter
   - Jee rank card (for admitted in jee rank based)

g) All students (2nd, 3rd & 4th year) will enter last semester (Even Sem - 2025) CGPA in the details of the last year obtained marks.

h) For any further query contact 0120-2594133 (Mr. Deepak Gupta) Registrar Office, Main Campus

(Registrar)

Jaypee Institute of Information Technology (Deemed University, U/S 3 of The UGC Act) A-10, Sector-62, Noida (U.P.)

Encl: Scholarship Instructions

समाज कल्याण
विभाग
उत्तर प्रदेश

छात्रवृत्ति योजना का प्रस्तुतीकरण

छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियम/शर्तें

आय सीमा/वरीयता श्रेणी

वर्ग	अभिभावक की वार्षिक आय सीमा (दशमोत्तर कक्षा)	अभिभावक की वार्षिक आय सीमा (पूर्वदशम कक्षा)	वरीयता श्रेणी
अनुसूचित जाति	रू0 2.50 लाख	रू0 2.50 लाख	वरीयता क्रमश: राजकीय/अनुदानित/निजी संस्थान के नवीनीकरण छात्र फिर नवीन छात्र
अनुसूचित जनजाति			
सामान्य वर्ग	रू0 2.00 लाख		
अन्य पिछड़ा वर्ग			छात्रों के गत वर्ष के अंकों के प्रतिशत का अवरोही क्रम
अल्पसंख्यक वर्ग			वरीयता क्रमश: राजकीय/अनुदानित/निजी संस्थान के नवीनीकरण छात्र फिर नवीन छात्र

छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियम/शर्तें

मैनेजमेन्ट कोटा

शिक्षण संस्थान में प्रबन्धकीय कोटा सीट, स्पाट (Spot) प्रवेश सीट में छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं। राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से निजी क्षेत्र के व्यवसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों वाले शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी। प्रवेश परीक्षा में आवेदन न करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं।

पाठ्यक्रमों का लेवल

सर्टिफिकेट लेवल, स्नातक पूर्व डिप्लोमा लेवल, स्नातक पश्चात डिप्लोमा लेवल, स्नातक लेवल, स्नातक पश्चात स्नातक लेवल, परास्नातक लेवल, परास्नातक के पश्चात रिसर्च लेवल एवं डाक्टरेट लेवल के कुल 08 लेवल के अन्तर्गत एक प्रोफेशनल व एक नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति की सुविधा अनुमन्य।

छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियम/शर्तें

न्यूनतम स्नातक योग्यता वाले पाठ्यक्रम (कट-आफ)

निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले छात्र/छात्रायें छात्रवृत्ति हेतु अर्ह होंगे।

सामान्य वर्ग छात्रों के लिए कटआफ 55 प्रतिशत निर्धारित है।

आयु सीमा

निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में छात्र/छात्राओं को अधिकतम आयु सीमा- 40 वर्ष। रिसर्च एवं डाक्टरेट लेवल के पाठ्यक्रम में उक्त नियम प्रभावी नहीं।

छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियम/शर्तें

उपस्थिति

शैक्षिक सत्र में न्यूनतम उपस्थिति- 75 प्रतिशत

आई.टी.आई. पाठ्यक्रम

हाईस्कूल उत्तीर्ण करने के 06 वर्ष के अन्दर निजी क्षेत्र के आई.टी.आई. संस्थानों के पाठ्यक्रम अथवा ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल है, के अन्तर्गत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति अनुमन्य।

आय प्रमाण-पत्र

माता-पिता/अभिभावक के नाम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र स्वीकार्य। छात्र के नाम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र अस्वीकार्य।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समूहवार शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति की दरें

समूह	पाठ्यक्रम	शुल्क प्रतिपूर्ति		छात्रवृत्ति	
		अनु0 जाति/ जनजाति	सामान्य वर्ग (अधिकतम शुल्क)	अनु0 जाति/सामान्य वर्ग (वार्षिक)	
				आवासीय	दिवा छात्र
I	एम.फिल., पी.एच.डी., बी.टेक., सी.ए., आई.सी.डब्लू.ए., सी.एस., आई.सी.एफ.ए., एल.एल.एम., डी.लिट., डी.एस.सी. आदि	समूहवार शुल्क प्रतिपूर्ति की कोई अधिकतम सीमा नहीं	50,000	13,500	7,000
II	एम.ए., एम.एस.सी., एम.काम., एम.एड., एम.फार्मा. आदि		30,000	9,500	6,500
III	बी.ए., बी.एस.सी., बी.काम. आदि		20,000	6,000	3,000
IV	आई.टी.आई., तीन वर्षीय डिप्लोमा (पालीटेक्निक), कक्षा 11-12 आदि		10,000	4,000	2,500

शुल्क प्रतिपूर्ति

1- सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क देने का प्राविधान।

2- निजी शिक्षण संस्थानों में शुल्क का निर्धारण सक्षम स्तर से न होने पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय में नियमित पाठ्यक्रम का न्यूनतम शुल्क देने का प्राविधान।

3- शुल्क निर्धारण अधिकार प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में राज्य विश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम का अधिकतम अथवा राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों का न्यूनतम शुल्क देने का प्राविधान।

पोर्टल इंटीग्रेशन

- e-district - आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र का लाइव सत्यापन।
- Digilocker - छात्र का व्यक्तिगत विवरण यथा- नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, फोटो व पता का आटोफेच की व्यवस्था।
- PFMS - आधार बेस छात्र के खाते में DBT के माध्यम से भुगतान।
- NPCI - आधार सीडिंग स्टेटस का लाइव सत्यापन।
- UIDAI - छात्रों का डेमोग्रेफिक ऑथेन्टिकेशन।
- AISHE - फर्जी संस्थानों पर प्रतिबन्ध।
- CBSE - हाईस्कूल विवरण की जांच।
- UDID - दिव्यांग छात्रों का आनलाइन सत्यापन (प्रक्रियाधीन)
- NSP - डुप्लीकेशन रोकने के लिए (De-duplication)
- UP/AMU/Sanskrit/ICSE

  Board (प्रक्रियाधीन)- हाईस्कूल विवरण की जांच।

10 स्टेप प्रोसेस फ्लो चार्ट

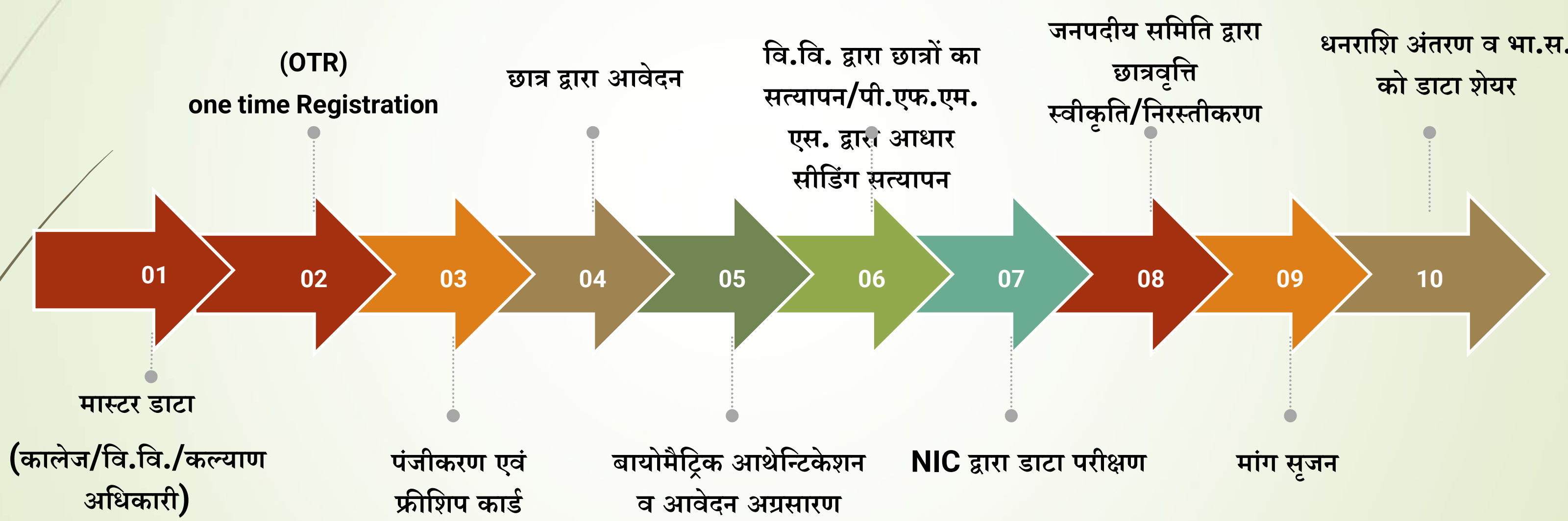

पूर्वदशम समय सारिणी
(अनु0 जाति/जनजाति/सामान्य/अन्य पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग)

मास्टर डाटा

विद्यालय स्तर पर	-	01 जुलाई, 2025 से 05 अक्टूबर, 2025 तक
छात्रों के लिए आवेदन अवधि	-	02 जुलाई, 2025 से 30 अक्टूबर, 2025 तक
संस्था स्तर से आवेदन अग्रसारण	-	03 जुलाई, 2025 से 06 नवम्बर, 2025 तक
जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से छात्रों का सत्यापन	-	प्रथम चरण- 01-09 सितम्बर, 2025 द्वितीय चरण- 07-15 नवम्बर, 2025
जनपदीय समिति से निर्णय	-	प्रथम चरण- 12-20 सितम्बर, 2025 द्वितीय चरण- 18 नवम्बर से 24 दिसम्बर, 2025

भुगतान तिथि

प्रथम चरण में 31 अगस्त तक आवेदित एवं विद्यालय से अग्रसारित छात्रों को भुगतान	-	02 अक्टूबर, 2025
द्वितीय चरण में शेष छात्रों को भुगतान	-	31 दिसम्बर, 2025

दशमोत्तर समय सारिणी
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)

मास्टर डाटा

शिक्षण संस्थान स्तर पर	-	25 नवम्बर, 2025 तक
विश्वविद्यालय स्तर पर	-	05 दिसम्बर, 2025 तक
जनपदीय कल्याण अधिकारी स्तर पर	-	12 दिसम्बर, 2025 तक

छात्रों के लिए आवेदन अवधि	-	31 मार्च, 2026 तक
संस्था स्तर से आवेदन अग्रसारण	-	11 जुलाई, 2025 से 16 अप्रैल, 2026 तक
विश्वविद्यालय स्तर से छात्रों का सत्यापन	-	प्रथम चरण- 10-17 नवम्बर, द्वितीय चरण - 11-18 दिसम्बर, तृतीय चरण- 12-24 जन. 2026, चतुर्थ चरण - 17-30 अप्रैल 2026

जनपदीय समिति से निर्णय	-	21 नवम्बर, 2025 से 10 जून, 2026 तक
भुगतान की तिथि	-	15 दिसम्बर 2025, 24 जनवरी 2026, 10 मार्च 2026 व 22 जून 2026

दशमोत्तर समय सारिणी
(सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग)

मास्टर डाटा

शिक्षण संस्थान स्तर पर	-	25 नवम्बर, 2025 तक
विश्वविद्यालय स्तर पर	-	05 दिसम्बर, 2025 तक
जनपदीय कल्याण अधिकारी स्तर पर	-	12 दिसम्बर, 2025 तक
छात्रों के लिए आवेदन अवधि	-	20 दिसम्बर, 2025 तक
संस्था स्तर से आवेदन अग्रसारण	-	11 जुलाई, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक
विश्वविद्यालय स्तर से छात्रों का सत्यापन	-	प्रथम चरण- 11-18 दिसम्बर, 2025
		द्वितीय चरण- 12-24 जनवरी, 2026
जनपदीय समिति से निर्णय	-	23 दिसम्बर, 2025 से 08 मार्च, 2026 तक
भुगतान की तिथि	-	24 जनवरी, 2026
	-	16 मार्च, 2026

शिक्षण संस्था स्तर पर मास्टर डाटा

- संस्था द्वारा परिसर में संचालित समस्त मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों का चयन करना।
- पाठ्यक्रम चयन करने के उपरांत पाठ्यक्रम के प्रकार यथा- नियमित/स्ववित्त पोषित का चयन कर सर्टिफिकेट जनरेट करना।
- सर्टिफिकेट जनरेट कर समस्त पाठ्यक्रमों की फीस, सीट आदि भरकर सेव करना।
- यदि किसी पाठ्यक्रम का गलत चयन हो गया है तो उसे कोर्स नॉट आफर्ड कर सब्मिट करना।
- समस्त पाठ्यक्रमों की फीस, सीट आदि का अंकन कर डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से लॉक करना। तदोपरान्त लॉक किये गये पाठ्यक्रमों का सर्टिफिकेट जनरेट करना।

<u>नोट-</u>

1- मास्टर डाटा लॉक करते समय विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी प्रदर्शित न होने की दशा में संस्था की लागिन से AISHE कोड वैलिडेट कर जिला समाज कल्याण अधिकारी से सत्यापन कराना।

2- कोर्स सेलेक्शन में जितने पाठ्यक्रमों का चयन कर सर्टिफिकेट जनरेट किया गया हो उन समस्त पाठ्यक्रमों की फीस, सीट आदि विवरण अंकन करने के उपरांत ही लॉक कर सर्टिफिकेट जनरेट किया जायेगा।

3- यदि कोई पाठ्यक्रम सेलेक्ट करने से छूट गया हो तो पूर्व से जनरेटेड सर्टिफिकेट के समस्त पाठ्यक्रमों को लॉक करने के उपरांत ही नवीन पाठ्यक्रम को सेलेक्ट कर लॉक किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

AISHE (All India Survey on Higher Education) वैलिडेशन

- AISHE वैलिडेशन/रिस्पांस में प्रदर्शित विश्वविद्यालय को एफिलियेशन में संस्था द्वारा चयन किया जायेगा।
- संस्था को एक विश्वविद्यालय अथवा एक से अधिक विश्वविद्यालय से एफिलियेशन के साथ-साथ रेगुलेटरी अथारिटी से एफिलियेशन प्राप्त होने पर वही विश्वविद्यालय मान्य होगा जो AISHE रिस्पांस में आया होगा तथा रेगुलेटरी अथारिटी एक्जेम्प्ट होगी। (AISHE कोड C से प्राप्त होने पर)
- AISHE रिस्पांस में प्रदर्शित विश्वविद्यालय मान्य होगा तथा रेगुलेटरी अथारिटी ही एक्जेम्प्ट होगी। (AISHE कोड U से प्राप्त होने पर)
- संस्था को केवल रेगुलेटरी अथारिटी से एफिलियेशन प्राप्त होने पर AISHE रिस्पांस में प्रदर्शित रेगुलेटरी आथारिटी मान्य होगी। (AISHE कोड S से प्राप्त होने पर)

One Time Registration (OTR)

- मोबाइल नम्बर भरना (आधार से लिंक) – सब्मिट
- ओ0टी0पी0 → [ ] सब्मिट
- रीडायरेक्ट → डिजीलाकर

  ↓

  आधार नम्बर सब्मिट

  ↓

  ओ0टी0पी0 → [ ] सब्मिट

  ↓

  सहमति

  ↓

  हां
- छात्रवृत्ति पेज खुलना

  ↓

  छात्र की ई-के.वाई.सी. (आटोफेच)

  ↓

  छात्र का नाम | पिता का नाम | लिंग | जन्मतिथि | फोटा | पता

  ↓ (पिता का नाम)

  सत्यापित | निरस्त

  ↓ (सत्यापित)

  → आधार नं0 भरना व डेमोग्रेफिक आथेन्टिकेशन हेतु ओ.टी.पी.- लाइव
- माता का नाम/पिता का नाम/ईमेल आई.डी.
- जनरेट ओ.टी.आर. नम्बर

पंजीकरण/फ्रीशिप कार्ड

ओ.टी.आर.

- ओ.टी.आर. नंबर भरना और कतिपय विवरण यथा- नाम, जन्मतिथि, लिंग आदि प्राप्त करना।

रजिस्ट्रेशन

- शासकीय तथा शासकीय सहायता प्राप्त संस्थान मान्य।
- निःशुल्क प्रवेश की स्थिति।
- केवल अनु0 जाति/अनु0 जनजाति छात्रों हेतु सुविधा।

आय प्रमाण-पत्र

- आय प्रमाण-पत्र का लाइव सत्यापन।

जाति प्रमाण-पत्र

- जाति प्रमाण-पत्र का लाइव सत्यापन।
- उप जाति अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के अन्तर्गत होना।

फ्रीशिप कार्ड/ रजिस्ट्रेशन

- फ्रीशिप कार्ड संस्था में जमा करने हेतु स्वतः निर्गत।
- रजिस्ट्रेशन प्रति स्वतः निर्गत।

संस्था स्तर पर कार्यवाही के मुख्य बिन्दु

- संस्था द्वारा AISHE कोड प्राप्त करना व ससमय मास्टर डाटा लॉक करना।
- संस्था द्वारा अपात्र छात्रों के आवेदन पत्र को रिसीव न करना। परीक्षणोपरान्त पात्र छात्र का डाटा सत्यापित कर रिसीव करके वेरीफाई करना।
- UIDAI की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक संस्था स्तर पर डिवाइस रजिस्टर्ड करके छात्रों का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही करना।
- छात्र के आवेदन पत्र को अग्रसारण से पूर्व समस्त विवरण यथा- गत वर्ष का परीक्षाफल, उपस्थिति, प्रवेश की तिथि आदि को भरना।
- संशोधन के समय छात्र का आवेदन पत्र संदेहास्पद की श्रेणी में आता है तो आवेदन पत्र में हुई त्रुटि के निराकरण हेतु छात्र का आवेदन पत्र पुनः अग्रसारण करना।

विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यवाही के मुख्य बिन्दु

- नवीन मान्यता प्राप्त संस्थान का परीक्षणोपरान्त मास्टर डाटा में सम्मिलित करने हेतु संस्थान को सत्यापित करना।
- संस्था स्तर से अग्रसारित आवेदनों को सीटों की सीमा के अन्तर्गत सत्यापित करना।
- मास्टर डाटा सत्यापन के समय सीटों में EWS के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की वृद्धि करनी हो तो सम्बन्धित प्रपत्र अपलोड करना।
- संस्था द्वारा लॉक किये गये पाठ्यक्रम को सत्यापित करके लॉक करने के उपरांत सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा।
- संस्था द्वारा लॉक किये गये पाठ्यक्रम की मान्यता/सम्बद्धता न होने की दशा में कारण सहित कोर्स नॉट ऑफर्ड करना।
- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था के लॉक पाठ्यक्रम को किन्ही कारणों से लम्बित रखना हो तो कारण सहित कोर्स को पेन्डिंग रखा जायेगा।

वर्ष 2025-26 से अनिवार्य रूप से लागू कार्यवाही

- शिक्षण संस्थानों की जियो टैगिंग ।
- स्टेट पोर्टल पर ही डिजीलॉकर के माध्यम से छात्रों की ई-के.वाई.सी. करते हुए OTR Generation
- प्रत्येक स्तर पर मास्टर डाटा लॉक/सत्यापित होने पर सर्टिफिकेट स्वतः जारी।
- मास्टर डाटा संस्था/विश्विवद्यालय/जिला समिति से सत्यापित होने के उपरांत ही आवेदन पत्र संस्था स्तर से अग्रसारण।
- संस्था/विश्विवद्यालय द्वारा मास्टर डाटा में लॉक की गयी सीटों के अन्तर्गत ही आवेदन पत्र संस्था स्तर से अग्रसारण।
- वर्ष 2025-26 से SNO (राज्य नोडल आफीसर), DNO (जनपदीय नोडल आफीसर), INO (इंस्टीट्यूट नोडल आफीसर), HOI (हेड आफ इंस्टीट्यूशन) तथा छात्रों का आधार बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन अनिवार्य।

कोर्स अधूरा छोड़ने पर रजिस्ट्रेशन नं0 ब्लॉक

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में संस्था से आवेदन अग्रसारण होने की दशा में ही रजिस्ट्रेशन नम्बर ब्लॉक होगा।

- यदि कोई छात्र नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रम से प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय/राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेता है तो उस जनपद से रजिस्ट्रेशन नम्बर ब्लॉक होगा जिस जनपद में छात्र नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में अध्ययनरत था।

- रजिस्ट्रेशन नम्बर ब्लॉक करने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने लागिन से मण्डलीय अधिकारी को आनलाइन रिक्वेस्ट तथा समस्त प्रपत्र भेजकर कराना।

लेवल बाइपास

- वित्तीय वर्ष 2025-26 में फाइनल प्रिन्ट ब्लैंक आने तथा सेम लेवल आने पर वर्तमान सत्र का रजिस्ट्रेशन नम्बर ही लेवल बाइपास किया जायेगा।
- यदि कोई छात्र का लेवल बाइपास करना हो तो परीक्षण किया जाय कि वर्तमान सत्र में पाठ्यक्रम तथा स्टुडेन्ट ट्रैक रिकार्ड के आधार पर नियमों के अन्तर्गत किया जाय।
- रजिस्ट्रेशन नम्बर लेवल बाइपास करने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने लागिन से मण्डलीय अधिकारी को आनलाइन रिक्वेस्ट तथा समस्त प्रपत्र भेजकर कराना। उक्त कार्यवाही वर्तमान सत्र में जिस जनपद में छात्र अध्ययनरत है उसी मण्डलीय जनपद से की जायेगी।
- लेवल बाइपास की कार्यवाही में छात्र के पूर्व रजिस्ट्रेशन नम्बर को ब्लॉक नहीं किया जायेगा।

प्रस्तावित कार्यवाही

- समस्त शिक्षण संस्थानों में केन्द्रीयकृत आधार बेस्ड बायोमैट्रिक/फेशियल रिकग्निशन उपस्थिति प्रणाली की स्थापना।
- छात्रवृत्ति पोर्टल को आयकर विभाग के पोर्टल से इंटीग्रेशन।

समाज कल्याण हेल्प लाइन/कमांड सेंटर

कल्याण साथी- 14568

छात्रवृत्ति वेबसाइट- https://scholarship.up.gov.in

धन्यवाद